



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062024-254893
CG-DL-E-24062024-254893

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 320]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 24, 2024/आषाढ 3, 1946

No. 320]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 24, 2024/ASHADHA 3, 1946

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2024

सा.का.नि. 343(अ).—जबकि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) के जरिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के नियम 15 के उप-नियम (i) में संशोधन के लिए कतिपय नियमों का एक मसौदा प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिसूचना वाली आधिकारिक राजपत्र की प्रतियां जनता को जिस तारीख से उपलब्ध कराई गई थी, उस तारीख से तीस दिनों की समाप्ति से पहले, इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और जबकि उक्त अधिसूचना वाली आधिकारिक राजपत्र की प्रतियां 05 मार्च, 2024 को जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थी;

और जबकि जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अब, इसलिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

- (1) इन नियमों को दिव्यांगजन अधिकार नियमावली (संशोधन), 2024 कहा जाए।
- (2) ये आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 में, नियम (15) में, उप-नियम (1) में, खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ढ) दिनांक 10 जनवरी, 2024 की अधिसूचना संख्या फा. सं. 9-4/2022-आईएस.18 के माध्यम से स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक संस्थानों के लिए सुगम्यता कोड।”

[फा. सं. आई-12012/5/2022-एआईसी]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

नोट: दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 591(अ), दिनांक 15 जून, 2017 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार सा.का.नि. 334(अ), दिनांक 22 मार्च, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2024

G.S.R. 343(E).—Whereas a draft of certain rules to amend sub-rule (1) of rule 15 of the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 were published, as required by sub-section (1) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), *vide* in the Official Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification was made available to the public;

And whereas, copies of the official Gazette in which the said notification were made available to the, public on the 5th March, 2024;

And whereas, the objections and suggestions received from the public were considered by the Central Government;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, namely:-

1. Short title and Commencement.-

(1) These rules may be called the Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, in rule 15, in sub-rule (1), after clause (m), the following clause shall be inserted, namely:-

“(n) Accessibility Code for Educational Institutions as specified, in the notification of the Department of School Education and Literacy, Ministry of Education, Government of India *vide* notification number F. No. 9-4/2022-IS.18 dated 10th January, 2024”.

[F.No. I-12012/5/2022-AIC]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.

Note: The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 591 (E), dated the 15th June, 2017 and was last amended *vide* G.S.R. 334 (E), dated the 22nd March, 2024.